

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 53/19 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. शम्भुसिंह आत्मज भीमसिंह रावणा राजपुत निवासी बुकरड़ा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. भरतसिंह आत्मज भीमसिंह रावणा राजपुत निवासी बुकरड़ा तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. उदेराम आत्मज भुरा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोरधन आत्मज भुरा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छगन आत्मज भुरा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. मांगीलाल आत्मज भैरूलाल पालीवाल निवासी तासोल तहसील जिला राजसमंद
2. पारस आत्मज जयराम गुर्जर निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरेश आत्मज जयराम गुर्जर निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. संतोकी बेवा जयराम गुर्जर निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रेवत आत्मज हजारी गुर्जर निवासी डागड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बंशी आत्मज पेमा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहन आत्मज पेमा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगु आत्मज पेमा रावणा राजपुत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लच्छीराम आत्मज श्रीराम दरोगा निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

उपस्थित

2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

**निर्णय**

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1151/68 रकबा 0.39 हैक्ट. आराजी संख्या 1153/69 रकबा 0.65 हैक्ट. आराजी संख्या 1155/70 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 120 पर स्थित है। एवं आराजी संख्या 1150/68 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1152/69 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1154/70 रकबा 0.02 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 121 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी 2073 से 2076 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा संबंधी के कोई मुस्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, मवेशी वगैरा चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के चारों तरफ के पड़ोसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 01.01.2019 को कहा

लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.19 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 से 8 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 1 एवं 9 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1151/68 रकबा 0.39 हैक्ट. आराजी संख्या 1153/69 रकबा 0.65 हैक्ट. आराजी संख्या 1155/70 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 120 पर स्थित है। एवं आराजी संख्या 1150/68 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1152/69 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1154/70 रकबा 0.02 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 121 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 100/- अक्षरे एक सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 900/- अक्षरे नौ सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा